जानिए
विधिक सेवा केन्द्र को

- **वैद्यानिक आधार :** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के धारा-29 के द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत तथा धारा-4 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा केन्द्र विनियमन 2011 बनाया है।
- **विधिक सेवाएँ :** विधिक सेवाओं का मतलब है- पैनल अधिवक्ता की सेवाएँ नि:शुल्क प्राप्त करना, कोर्ट फीस, कानूनी सलाह, गवाह खर्च, नकल प्राप्त करना, आवेदन लिखना, सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में मदद इत्यादि (यह सूची केवल मार्गदर्शक है सम्पूर्ण नहीं)
- **विधिक सेवा केन्द्र :** विधिक सेवा केन्द का आशय है वह संस्थान जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्थापित किया है और जहाँ ग्रामीण जनता को मुफ्त में मूलभूत विधिक सेवाएँ प्रदान की जाती है और जहाँ पैनल अधिवक्ता तथा पारा लीगल वॉलन्टियर उक्त सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **विधिक सेवा केन्द्र में मुफ्त सहायता पाने के लिए पात्रता :** हर वह व्यक्ति जो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के धारा-12 के तहत आता है, वह मुफ्त विधिक सेवाओं को पाने के लिए सुपात्र है। वैसे लोग हैं :-
  - क) अनुसूचित जाति या जनजाति का एक सदस्य;
  - ख) प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति;
  - ग) मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी का शिकार;
  - घ) दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ;
  - ङ) महिला या बच्चे;
  - च) बड़े पैमाने पर आपदा, जातीय हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति;
  - छ) एक औद्योगिक कर्मकार;
  - ज) सुरक्षात्मक हिरासत सहित हिरासत में;
  - झ) जिनकी आय वार्षिक एक लाख रूपया से कम है।
- **विधिक सेवा केन्द्र में पदस्थापित कर्मी :** विधिक सेवा संस्थान प्रत्येक विधिक सेवा केन्द्र में दो पारा लीगल वॉलन्टियर तथा एक पैनल अधिवक्ता/रिटेनर अधिवक्ता की तैनाती करता है।

  अगर किसी मामले में आगे और भी काररवाई किया जाना है तो वही पैनल लॉयर अग्रिम काररवाई करता है जिसने प्रथमत: विधिक सेवा केन्द्र में मामले में कानूनी सेवा दी थी।
- विधिक सेवा केन्द्र सभी कानूनी सेवाओं के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करती है। यहाँ लोगों की कानूनी समस्याओं के अलावा योजनाओं के लाभ पाने में भी मदद की जाती है।
- **सेवाएँ जिन्हें विधिक सेवा केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है :**
  1. विधिक मामलों में सलाह/परामर्श
  2. मनरेगा या अन्य योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भरना
  3. सरकारी कार्यालय अथवा अधिकारियों से मिलकर ग्रामीणों की मदद
  4. केन्द्र में आने वाले लोगों की मदद वास्ते उनके साथ अन्य विभागों से सामंजस्य
  5. मुकदमा पूर्व मामलों में मध्यस्थता/परामर्श

6. प्रतिवेदन तैयार करने में मदद

- **विधिक सेवा केन्द्र में तैनात पारा लीगल वॉलन्टियर के कार्य :**
  - (1) प्रारम्भिक सलाह देना, आवेदन लिखना, फार्म भरना तथा सरकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी देना।
  - (2) ग्रामीण के साथ सरकारी कार्यालय जाना
  - (3) पैनल लॉयर की सेवा प्रदान कराना
  - (4) ग्रामीण को जिला विधिक सेवा प्राधिकार लाना ताकि उन्हें तत्काल सक्षम विधिक सेवा मिले
  - (5) जागरूकता के बने पर्ची, किताबों को बांटना
  - (6) विधिक जागरूकता कैम्प लगाना
  - (7) छोटे-मोटे मामलों में समझा-बुझाकर विवाद निपटाना।
- **कार्यदिवस तथा कार्य अवधि :** विधिक सेवा केन्द्र सभी दिन काम करते हैं। रविवार तथा बुधवार को तो हर हाल में विधिक सेवा केन्द्र काम करते हैं। कार्य अवधि 10 बजे दिन से छह बजे शाम तक है। काम कम रहने पर विधिक सेवा कार्य दिवस तय कर सकते हैं, पर रविवार और बुधवार को तो यह केन्द्र काम करेगा ही।
- **पारिश्रमिक :** विधिक सेवा केन्द्र में सेवा देने वाले पैनल लॉयर को प्रत्येक दिन के लिए रूपया 500/- तथा पारा लीगल वॉलन्टियर को रूपया 250/- दिया जाता है।
- **विधिक सेवा केन्द्र में लोग अदालत :** जिला विधिक सेवा प्राधिकार विधिक सेवा केन्द्र में लोक अदालत का आयोजन कर सकती है। यह लोक अदालत लंबित मुकदमों तथा मुकदमा पूर्व मामलों - यानि दोनों तरह के मामलों के लिए आयोजित हो सकते हैं।
- **अभिलेखों तथा रजिस्टर पंजी का रख-रखाव** पॅनल लॉयर तथा पारा लीगल वॉलन्टियर अपने आने-जाने के लिए हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करते हैं, हर विधिक सेवा केन्द्र में एक पंजी होता है जिसमें प्रत्येक आने-जाने वाले का नाम-पता, संपर्क नं0, उद्देश्य तथा दी गई विधिक सहायता दर्ज रहती है। इसमें विधिक सहायता देने वाले पारालीगल वॉलन्टियर का नाम, पैनल अधिवक्ता का नाम तथा रिमार्क कॉलम में जरूरी बातें दर्ज रहती है।
- विधिक सेवा केन्द्र के पंजी/अभिलेख जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव तथा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हैं। वे समय-समय पर इसका निरीक्षक भी करते हैं।
- मांगे जाने पर पारा लीगल वॉलन्टियर इन पंजीओं को विधिक सेवा संस्थान में प्रस्तुत करते हैं।
- **चलंत लोक अदालत सह जागरूकता वाहन का उपयोग :** स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा विधिक सहायता के वास्ते, विधिक सेवा केन्द्र चलंत लोक अदालत सह जागरूकता वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
- विधिक सेवा केन्द्र को 'वन स्टॉप सेन्टर' की तरह काम करना होता है। यहाँ बच्चे, महिलाएँ, दिव्यांग, बंदीजन, सभी वंचित तथा कतार के अंतिम व्यक्ति को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित कराया जाता है।

द्वारा प्रकाशित
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
न्याय सदन, ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची
फोन : 0651-2481520, 2482392, फैक्स : 0651-2482397
ईमेल : jhalsaranchi@gmail.com वेबसाइट : www.jhalsa.org
यह पाठ्य साम्रगी झालसा के वेबसाइट **"www.jhalsa.org"** पर भी उपलब्ध है।